कार्यालय चुनाव अधिकारी
श्री गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब
नानकमत्ता जिला उधम सिंह नगर

नोटिस

संख्या नं. 07 /GSNMS/Election 2016 दिनांक– 21-11-2016.

हल्का प्रतिनिधि (डायरेक्टर) बनने हेतु आवश्यक निर्देश–

1– हल्का अनुसार प्रत्येक गुरूद्वारे से चुने हुये डेलीगेट की सूची 06.12.2016 को श्री गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब की वैबसाईट पर डाल दी जायेगी तथा यह सूची श्री गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी जायेगी।

2– डेलीगेट की योग्यता या अन्य किसी बिन्दु पर यदि कोई आपत्ति/शिकायत चुनाव अधिकारी को प्राप्त होती है तो उस आपत्ति/शिकायत का निस्तारण उचित व्यवस्था के अनुसार चुनाव अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3– हल्का प्रतिनिधि बनने हेतु इच्छुक डेलीगेट को इस नोटिस के साथ संलग्न नामांकन पत्र भरना होगा। यदि किसी एक हल्के से एक से अधिक डेलीगेट हल्का प्रतिनिधि (डायरेक्टर) बनने हेतु इच्छुक है तो ऐसे मे उन डेलीगेटो को हल्का प्रतिनिधि के चुनाव के संबंध में अपना नामांकन पत्र दिनांक 06.12.2016 तक कार्यालय चुनाव अधिकारी श्री गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब नानकमत्ता मे जमा करना होगा। प्रत्येक हल्के से हल्का प्रतिनिधि (डायरेक्टर) का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति (डेलीगेट) की सूची दिनांक 07.12.2016 को श्री गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब की वैबसाईट पर डाल दी जायेगी तथा यह सूची श्री गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी जायेगी।

4– हल्का प्रतिनिधि (डायरेक्टर) के चुनाव के सम्बंध में नामांकन पत्र व अन्य दस्तावेज कार्यालय चुनाव अधिकारी मे प्राप्त होने पर निम्न प्रारूप पर हल्का अनुसार सूची प्रत्येक दिन तैयार की जायेगी जिससे कि हल्का अनुसार पूर्ण सूची दिनांक 07.12.2016 को प्रकाशित की जा सके।

कमांक नं.	डेलीगेट का नाम	पिता/पति का नाम	पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर (तहसील का नाम अवश्य लिखा जाये)	क्या डेलीगेट द्वारा समस्त शर्तो का पालन किया जा रहा है (नामांकन पत्र के अनुसार)	उस गुरूद्वारे का नाम व पूर्ण पता जिससे डेलीगेट का चुनाव हुआ है। (तहसील का नाम अवश्य लिखा जाये)	हल्के का नाम जिसके प्रतिनिधि/डायरेक्टर के लिए चुनाव मे भाग लिया जा रहा है	अन्य टिप्पणी

ह0/–
(कंवर अमनिन्दर सिंह)
चुनाव अधिकारी

हल्का प्रतिनिधि/डायरेक्टर के चुनाव हेतु नवीन नामांकन फार्म

अनुलग्नक–1

1– उम्मीदवार का नामः

2– पिता/ पति का नामः

3– 31.07.2016 तकः

4– पताः

आधार कार्ड / वोटर आई डी की कापी संलग्न करे।

5– फोन नम्बर या वैध व स्थाई मोबाईल नम्बरः

6– पैन कार्ड नं0–
पैन कार्ड की फोटो कापी संलग्न करे।

7– ई–मेल आई डी यदि कोई होः

8– आवेदक की घोषणाः
अ. वह श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा प्रमाणित व प्रचलित रहत मर्यादा का पालन करता है।
ब. वह दिवालिया नही हैं।
स. वह किसी भी न्यायालय से लंबित किसी भी अपराध में भगोड़ा नही है।
द. वह स्वस्थ मन का है।
ई. वह भारत का नागरिक है।
क. वह गुरूद्वारा समिति का वेतनभोगी श्रमिक नही है।
ख. वह एक अंमृतधारी सिख है।
ग. वह गुरूमुखी भाषा का अच्छा ज्ञान रखता है व पंजाबी लिखना–पढना जानता है।

9– क्या आवेदक भारत के किसी सक्षम न्यायालय में आपराधिक कृत्य / नैतिक अधमता का दोषी पाया गया है। (हां/नही)

10– क्या कभी पुलिस अभिरक्षा / न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। (हां/नही)
यदि हां तो वाद का संपूर्ण विवरण।

11– क्या आवेदन के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में कोई आरोप तया हुये है। (हां/नही)
यदि हां तो वाद का संपूर्ण विवरण।

12– क्या आवेदक हिन्दी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता है। (हां/नही)

13– क्या आवेदक गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब व भारत के किसी भी अन्य गुरूद्वारे के साथ हितो को लेकर टकराव रखता है। (हां/नही)

14– क्या आवेदक अपने किसी कृत्य के लिये श्री अकाल तख्त साहिब व किसी अन्य तक्ष्त साहिब द्वारा दंडित किया गया है। (हां/नही)

15– गुरूद्वारे का पूर्ण नाम व पता जहा से डेलीगेट के रूप में चुना गया है:

16– हल्के का नाम जिसके प्रतिनिधि / डायरेक्टर के चुनाव के लिये नामांकन पत्र भरा जा रहा है।

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

प्रस्तावको के नाम, पता व हस्ताक्षर

1.

2.

नोट– नामांकन पत्र के साथ अपना वैध यक्तिगत पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राईविंग लाईसेन्स की साफ व स्पष्ट फोटो कापी संलग्न करे।